

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Join SJU

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

अधिकार दी न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं तीव्रतम एडवोकेट श्री ताराका शीवास्त्र (अध्यक्षता), माननीय उच्च-न्यायालय, एवं गवर्निंग बॉर्ड के सदस्यों कुम० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता शीवास्त्र, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को चयनवाट झपटि किया, और कस कि संघ पर सामाजिक अन्धश्रम अथवा मानवाधिकार हनन सम्बन्धी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं समग्र व्यक्तियों के समक्ष सभी की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बन्धी कार्य साथ में लेकर वेलासत, नगरीय, परिवारिकता, धिक्काओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साबस्ता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आयोजित नित्यिकीयों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए महत्त्वपूर्ण संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी केतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित वर्ग के अधिकारों के सम्बंध में शिक्षित एवं न्यायिक प्रित के कार्यक्रमों के इस संघ द्वारा प्रारंभ किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सूचना दिया जावेगा। संघ पीड़ित हेतु संरक्षक मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, और शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानों को आसानी से पहुँचाना जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता दी जावेगी।
- संघ द्वारा संरक्षक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित हिस्स कार्यक्रम किए जावेगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं से साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुर्तियों को दूर करने के लिए कार्यरत का अवेजन कम किया जाएगा। संघ दहे के मुद्दे विरोध पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पहिए
न्यायसाक्षी सभाया-प्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU